संख्याः 466 /अ0स0वित्त/2008

प्रेषक,

डा0एम0सी0जोशी
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

दिनांक:देहरादूनः 15 दिसम्बर,2008

विषयः— मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून की 74 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.10.08 के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0 1584/प्राधि0बोर्ड बैठक—74वीं—कार्यवृत्त/2008—09 दिनांकः 27.11.08 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून की 74वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.10.08 का कार्यवृत्त प्रेषित किया गया है। बैठक में हुए विचार—विमर्श के कम में कार्यवृत्त में निम्नांकित रूप से संशोधन करना उचित प्रतीत होता है :—

प्रकरण बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ एवं संज्ञानार्थ

कमांक	कार्यवृत्त में इंगित विवरण	प्रस्तावित विवरण
1.	प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी।	इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में वित्त विभाग के प्रतिनिधि के सुझाव पर यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को शासन को संदर्भित किया जाय।
2.	प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।	विस्तृत विवरण तथा अब तक की गई कार्यवाही सहित यथोचित प्रस्ताव पुनः बोर्ड के विचारार्थ रखा जाय।
3.	प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।	उक्तानुसार
4.	प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।	प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।
5.	प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।	उक्तानुसार
6.	प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।	उक्तानुसार

74 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.10.08 का एजेन्डा

कमांक	कार्यवृत्त में इंगित विवरण	प्रस्तावित विवरण
1.	बजट पर विचार—विमर्श किया गया एवं प्राधिकरण का वर्ष 2007—08 एवं वर्ष 2008—09 का प्रस्तावित बजट	बजट पर विचार—विमर्श उपरान्त प्राधिकरण का वर्ष 2007—08 के बजट का संज्ञान लिया गया एवं वर्ष 2008—09

D:\NOTE SHEET-1.doc

	सर्वसम्मति से पारित किया गया।	का प्रस्तावित बजट पारित किया गया। यह भी संज्ञान में आया कि वार्षिक लेखा व तुलन पत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है जिस पर घोर आपत्ति व्यक्त की गई तथा अपेक्षा की गई कि 2007–08 का वार्षिक लेखा व तुलनपत्र यथाशीघ्र बोर्ड के समक्ष रखा जाय तथा गत वर्षो के लेखों व तुलनपत्रों के सम्बन्ध में भी स्थिति बोर्ड के समक्ष रखी जाए।
30.	विचार–विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि प्रमिाह 10,000/– की धनराशि दिये जाने का विस्तृत विवरण सहित अग्रिम बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।	विचार विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि विस्तृत विवरण सहित अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।
37.	विचार–विमर्श के दौरान 24 सीटर बस को क्रय करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण हेतु वाहन किराये पर लेने हेतु निर्देश दिये गये।	विचार विमर्श के दौरान 24 सीटर बस को क्रय करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण हेतु यथाआवश्यकता वाहन किराये पर लेने हेतु निर्देश दिये गये।
38.	विचार–विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि Project Management Unit का गठन वित्त विभाग की अधिप्राप्ति नियमावली के अनुरूप किया जाए।	विचार विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि Project Management Unit में यथाआवश्यकता सेवायें पारदर्शी पद्धति से/परामर्शी सेवायें उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुरूप प्राप्त की जायें।

उक्तानुसार कार्यवृत्त में यथास्थान संशोधन करते हुए अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0एम0सी0जोशी)
अपर सचिव, वित्त।

प्रतिलिपि

1– सचिव, आवास उत्तराखण्ड शासन।
2– अध्यक्ष/आयुक्त, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3– उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

(डा0एम0सी0जोशी)
अपर सचिव, वित्त।